



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ सीकर में बी.एड. कॉलेज का कर्मचारी 18 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

जयपुर, 26 अप्रैल मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज सीकर में कार्यवाही करते विनोद कुमार कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तम्बाकूपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर को परिवादी से 18 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बी.एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दिलवाने एवं पास करवाने की एवज में विनोद कुमार कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तम्बाकूपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये विनोद कुमार पुत्र श्री रामदेव सिंह निवासी पायली, तहसील डीडवाना, जिला नागौर हाल कॉलेज कर्मचारी, अरावली शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, तम्बाकूपुरा, जीण माता रोड़, जिला सीकर को परिवादी से 18 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा उसके आवास एवं अन्य ठिकानो पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं **Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।